न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
ओमप्रकाश पुत्र शुभकरणजी, जाति चारण, निवासी बासनी कवियन, तहसील रायपुर, जिला पाली व अन्य – 3		श्री मदन सिंह पुत्र मोहन सिंह, जाति राजपुत, निवासी कमला नेहरू नगर, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान व अन्य –29

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2014

दिनांक२१.08.2025

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम हेटमजी, पटवार हल्का आबूपर्वत , भू.अ.निरीक्षक आबूपर्वत में खसरा नंबर 318/118 कुल रकबा 54.10 बीघा की कृषि भूमि स्थित है। यह कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम क़ब्जा काश्त व खातेदारी की है। यह कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार कृषक है तथा उस में अपना कब्जा बनाए रखने के लिए विधिक अधिकारी है। यह कि अप्रार्थीगण , प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त के हिस्से से बेदखल करने हेतु आमादा है। इस हेतु अप्रार्थीगण द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अप्रार्थीगण द्वारा बहस की गई।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार मौजा ग्राम हेटमजी , पटवार हल्का आबूपर्वत, भू.अ.निरीक्षक आबूपर्वत में खसरा संख्या 318/118 की कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है। अतः धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहखातेदारो के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक२१.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.09.16 11:19:23 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ.अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)